संख्या–2078/49–3–2010–100(7)/2006.

प्रेषक,

मोहन लाल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

(10)

सेवा में,

मुख्य निदेशक(आईसीडीपी),
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम,
4–सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास,
नई दिल्ली–110016

सहकारिता अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 15 जुलाई, 2010.

विषय : आईसीडीपी अलीगढ़ की परियोजना में जिला सहकारी बैंक मुख्यालय एवं मुख्य शाखा भवन के निमित्त डायवर्जन प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के पत्र संख्या–रासविनिः 3–23(12)/2004/आईसीडीपी/, दिनांक 11–11–2008 द्वारा आईसीडीपी अलीगढ़ के अन्तर्गत विभिन्न सेक्टरों में कुल रू0 71.95 लाख प्राविधानित है। महा प्रबन्धक, आईसीडीपी, अलीगढ़ के पत्रांकः 486/राज्यस्तरीय बैठक कार्यवृत्त/आईसीडीपी, दिनांक 21–6–2010 के अनुसार उक्त धनराशि प्रदान करने हेतु सम्बन्धित संस्थाओं एवं उनकी जिला स्तरीय अधिकारियों से प्रस्ताव मॉगे गये किन्तु किसी भी संस्था से प्रस्ताव नही प्राप्त हुए। उक्त पत्र के अनुसार परियोजना स्वीकृत पत्र में कृषि एवं बैंकिंग सेक्टर को छोड़कर अन्य सेक्टर में प्राविधानित धनराशि रू0 71.95 लाख का उपयोग न हो सकने के कारण आईसीडीपी, अलीगढ़ के पी0आई0ए0 की बैठक दिनांक 15–3–2010 में बैंक के प्रस्ताव पर विचार करके जिला सहकारी बैंक मुख्यालय एवं मुख्य शाखा भवन के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया तथा परियोजना में अन्य सेक्टरों में प्राविधानित धनराशि का डायवर्जन करके जिला सहकारी बैंक, अलीगढ़ को देने का निर्णय लिया गया है।

2– इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के पत्रांक रासविनि/4–2/86–आईसीडीपी, दिनांक 20जनवरी,2010 के प्रस्तर–2 में निहित व्यवस्था के अनुसार डायवर्जन सम्बन्धी पी0आई0ए0 द्वारा पारित प्रस्ताव एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा संस्तुत प्रस्ताव का निबन्धक सहकारी समितियॉ,उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 15–6–2010 में लिये गये निर्णयानुसार प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग,उ0प्र0शासन को सम्बोधित निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0 के पत्रांक–134/मानी0सेल/

––2/–

जी–1/3–36, दिनांक 30–6–2010 की प्रति समस्त सुसंगत अभिलेखों एवं राज्य सरकार की संस्तुति सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही कराकर निर्णय से राज्य सरकार को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(मोहन लाल)
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–2078(1)/49–3–2010–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या–रासविनि/9–9/09/रोल/2183,दिनांक 10–3–2010 के संदर्भ में ।

2– निबन्धक, सहकारी समितियाँ,उ0प्र0 लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र दिनांक 30–6–2010 के संदर्भ में ।

3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मोहन लाल)
विशेष सचिव।